न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री शिवपाल जाट (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः— 98/2017

1. जगदीश पुत्र छोटू जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
2. राजु पुत्र छोटू जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
3. किशन पुत्र छोटू जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
4. धोला पुत्र छोटू जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
5. भागोती पत्नि छोटू जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
6. मूलचन्द पुत्र स्व. बना जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
7. श्यामलाल पुत्र बना जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
8. मन्शाराम पुत्र बन्ना जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
9. ताराचन्द पुत्र बन्ना जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
10. बद्रीप्रसाद पुत्र बन्ना जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
11. मुकेश पुत्र बन्ना जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
12. नानची पत्नि स्व. बन्ना जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
13. बरजीदेवी पत्नि स्व. रामेश्वर जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी
14. मथुरा प्रसाद पुत्र रामेश्वर जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
15. पूर्णमल पुत्र रामेश्वर जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
16. छितरमल पुत्र रामेश्वर जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
17. महेन्द्र पुत्र रामेश्वर जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
18. सरदार पुत्र रामेश्वर जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
19. फूलीदेवी पुत्री रामेश्वर जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
20. बसन्तीदेवी पुत्री रामेश्वर जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
21. मन्जूदेवी पुत्री रामेश्वर जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
22. लुणाराम पुत्र स्व0 बोदू जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
23. कजोड़ पुत्र स्व. सुरजा जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

आवेदकगण

बनाम

1. हीरालाल पुत्र सुरजा जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
2. रूडाराम पुत्र सुरजा जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
3. बीरबल पुत्र सुरजा जाति माली निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 10/10/17

आवेदकगण ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आवेदकगण ने एक दावा उनवानी बाकायदा न्यायालया हाजा में पेश कर दिया है। ग्राम जहाज की सरहद में खाता संख्या नया 262 के भूमि खसरा नम्बर 454/3, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 824/772, 825/772, किता

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned by CamScanner

कुल रकबा 5.31 है. अवस्थित है। प्रार्थना पत्र में आगे विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा। उक्त वर्णित भूमि आवेदकगण व अनावेदकगण की शामलाती भूमी है तथा अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है।

आवेदकगण नं. 1 लगायत 23 व प्रतिवादी संख्या 4 भूमि खसरा नम्बर 824/772, 461, 459, 463, 472, 471, 467, 473 सम्पूर्ण को तथा शेष खसरा नम्बरान पर अनावेदकगण 1 लगायत 3 मौके पर काश्त करते है तथा इसी अनुरूप कब्जा है। भूमि खसरा नम्बर 461 आवेदकगण के कब्जे काश्त में है। उक्त खसरा नम्बर में कोई रास्ता मौके पर नहीं है और ना ही पगडण्डी है। अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 आये दिन कब्जा काश्त में दखलदांजी करते है तथा आवेदकगण को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में होने के कारण अपूर्णिय क्षति भी आवेदकगण को ही कारित होती है। अंत में निवेदन किया है कि अनावेदकगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम जहाज की सरहद में खाता संख्या नया 262 के भूमि खसरा नम्बर 454/3, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 824/772, 825/772, किता 18 कुल रकबा 5.31 है. में आवेदकगण के हिस्से में आई भूमि के कब्जा काश्त में कोई दखलदांजी नहीं करें ना किसी अन्य से करवायें तथा ना ही कोई नया रास्ता कायम करें। तादौराने वाद मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदगण की तलबी वास्ते जाबाबदेही की गई।

अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 ने जरिये वकील जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया है कि ग्राम जहाज की सरहद में खाता संख्या नया 262 के भूमि खसरा नम्बर 454/3, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 824/772, 825/772, किता 18 कुल रकबा 5.31 है. भूमि आवेदकगण व अनावेदकगण की पैत्रिक शामलाती भूमि है। उक्त भूमि में जबाबदेहन्दा का हिस्सा 1/2 है जो मौके पर काबिज काश्त है। उक्त वर्णित भूमि में खसरा नम्बर 461 में पचलंगी जाने वाली सडक से ढाणी नाथूराम वाला होते हुए काला भाटा जाने वाले रास्ते तक पगडण्डी (रास्ता) कदीमी है। जिसको आवेदकगण ने लाठी के बल पर बन्द कर दिया था। जबाबदेहन्दा ने तहसीलदार उदयपुरवाटी के यहां रास्ते को खुलवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने मौके की रिपोर्ट मंगवाकर उक्त खसरा नम्बर 461 में बन्द रास्ते को खुलवाने के लिये भू0 अ0 निरीक्षक व पटवारियान की टीम गठित कर रास्ता खुलवाने का आदेश दिया था, परन्तु आवेदकगण ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर दिनांक 13.7.2017 को श्रीमान के न्यायालय एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। जिसके कारण तहसीलदार उदयपुरवाटी के रास्ता खुलवाने के आदेश की क्रियान्विति नहीं हो सकी। रास्ता खोलने के के आदेश को रोकने के लिए प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों पर पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अनावेदक संख्या 4 बावजूद तामिल सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned by CamScanner

बहस अंतिम प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील आवेदकगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम जहाज की सरहद में खाता संख्या नया 262 के भूमि खसरा नम्बर 454/3, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 824/772, 825/772, किता 18 कुल रकबा 5.31 है. अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि आवेदकगण व अनावेदकगण की शामलाती भूमी है तथा अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है।

आवेदकगण नं. 1 लगायत 23 व प्रतिवादी संख्या 4 भूमि खसरा नम्बर 824/772, 461, 459, 463, 472, 471, 467, 473 सम्पूर्ण को तथा शेष खसरा नम्बरान पर अनावेदकगण 1 लगायत 3 मौके पर काश्त करते है तथा इसी अनुरूप कब्जा है। भूमि खसरा नम्बर 461 आवेदकगण के कब्जे काश्त में है। उक्त खसरा नम्बर में कोई रास्ता मौके पर नहीं है और ना ही पगडण्डी है। अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 आये दिन कब्जा काश्त में दखलदांजी करते है तथा आवेदकगण को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। अनावेदकगण उक्त वर्णित शामलाती भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। उक्त वर्णित भूमि में खसरा नम्बर 461 में दिनांक 10.7.2017 को तहसीलदार उदयपुरवाटी ने रास्ता खोलने का आदेश किया है। अनावेदकगण विभाजन से पूर्व ही रास्ता कायम करना चाहते हैं। आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में होने के कारण अपूर्णिय क्षति भी आवेदकगण को ही कारित होती है। अतः अनावेदकगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम जहाज की सरहद में खाता संख्या नया 262 के भूमि खसरा नम्बर 454/3, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 824/772, 825/772, किता 18 कुल रकबा 5.31 है. में आवेदकगण के हिस्से में आई भूमि के कब्जा काश्त में कोई दखलदांजी नहीं करें ना किसी अन्य से करवायें तथा ना ही कोई नया रास्ता कायम करें। तादौराने वाद मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 के वकील ने बहस के दौरान प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि कानूनन एक सह खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश नहीं दिया जा सकता है जब तक कि बेचान निर्माण या कोई यथास्थिति में बदलाव नहीं किया जा रहा हो। इस तथ्य को न तो आवेदकगण के वकील ने बताया है तथा ना प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से साबित है। अनावेदकगण द्वारा महज हमारी मौके पर चल रही पगडण्डी रास्ता का बंद करने हेतु गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय को मुगालते में रखकर एकतरफा टी. आई. प्राप्त की है। विभाजन के समय तो रास्ते का प्रावधान रख दिया जावेगा लेकिन तब तक हमारी पगडण्डी (रास्ता) को बंद नहीं रखा जावे। उक्त वर्णित भूमि में खसरा नम्बर 461 में पचलंगी जाने वाली सड़क से ढाणी नाथूराम वाला होते हुए काला भाटा जाने वाले रास्ते तक पगडण्डी (रास्ता) कदीमी है। जिसको आवेदकगण ने लाठी के बल पर बन्द कर दिया था। जबाबदेहन्दा ने तहसीलदार उदयपुरवाटी के यहां रास्ते को खुलवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने मौके की रिपोर्ट मंगवाकर उक्त खसरा नम्बर 461 में बन्द रास्ते को खुलवाने के लिये भू0 अ0 निरीक्षक व पटवारियान की टीम गठित कर रास्ता खुलवाने का आदेश दिया था परन्तु आवेदकगण ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर दिनांक 13.7.2017 को श्रीमान के

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner

न्यायालय एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। जिसके कारण तहसीलदार उदयपुरवाटी के रास्ता खुलवाने के आदेश की कियान्विति नहीं हो सकी। आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया। ग्राम जहाज की सरहद में खाता संख्या नया 262 के भूमि खसरा नम्बर 454/3, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 824/772, 825/772, किता 18 कुल रकबा 5.31 है. अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि आवेदकगण व अनावेदकगण की शामलाती भूमी है तथा आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकितनुसार सभी सह खातेदार अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। जहां तक अनावेदगण संख्या 1 लगायत 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने सवाल है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्वयं द्वारा या उनके वकील द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 उक्त वर्णित शामलाती कृषि भूमि को बेचान, व निर्माण कर रहे हों तथा मौके पर भूमि के स्वरूप में कोई बदलाव कर रहे हों। कानूनन बिना विषेश कारण के एक खातेदार अपने सहखातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश दिनांक 10.7.2017 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि उक्त आदेश भूमि खसरा नम्बर 461 में बन्द पगडण्डी (रास्ता) को खुलवाने हेतु दिया गया है। आवेदकगण द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाकर एवं महज पगडण्डी (रास्ता) से संबंधित विधिक कार्यवाही को रोके जाने हेतु प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण का प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है तथा ना ही सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है। इसलिए आवेदकगण को अपूर्णिय क्षति कारित होने की भी कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दु आवेदकगण के पक्ष में नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 10/10/17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner